had also been notified on 25th April, 1995 which *inter-alia* require hospital waste to be disposed off in an environmentally sound manner. The Rules have yet to be notified as the opinion/objections from the public and concerned agencies have been sought.

Project Proposal by State Government for Revamping Secondary Health System in Orissa

*228. SHRIMATI JAYANTI PATNAIK: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government of Orissa has submitted a project proposal for revamping secondary health system in that State;

(b) whether the Central Government has forwarded that project proposal to the World Bank for assistance;

(c) if so, the action taken by the World Bank in the matter;

(d) the funds likely to be obtained from the World Bank for implementing these projects in Orissa; and

(e) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI): (a) and (b) yes, Sir.

(c) to (e) The State Projects are developed through detailed discussion with the World Bank and past experience has shown that they take from 12 to 24 months to fructify, depending on the time taken on the design and formulation of the project by the State. The State authorities have been kept fully involved in the discussions with the Bank's representatives at each stage but it is not possible to comment on the final dimension of the project at this juncture.

शीघ्र न्याय उपलब्ध कराया जाना

*229. **श्री अजीत जोगी**: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनता को सुलभ, सस्ता और शीघ्र न्याय उपलब्ध करवाने के सबंध में सरकार की क्या योजना है;

(ख) देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में इस समय लम्बित पड़े मामलों की राज्य-वार संख्या क्या है और वहां न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त पड़े है; और

(ग) न्यायिक प्रक्रिया में विलम्ब को दूर करने तथा मुकदमा दायर करने वालों की शिकायतों का निवारण करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये है?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलत): (क) न्याय को त्वरित और कम खर्चीला बनाने के निरतर प्रयास की दिशा में सरकार, न्यायिक प्रक्रियाओं को ओर सरल बनाने, न्यायालयों और न्यायिक पदों की संख्या में वृद्धि करने, न्यायालय भवनों और निवास सुविधाओं के निर्माण के लिए अतिरिक्त निधि का उपबंध करके न्याय प्रदान करने संबंधी अवसंरचना को मजबूत बनाने, लोक अदालतों, की स्थानीय समुचित पद्धतियों को अंगीकृत करने का आशय रखती है ।

(ख) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों और रिक्त पदों को दर्शित करने वाली एक सारणी विवरण रूप में सदन के पटल पर रख दी गई है। (नीचे देखिए)

(ग) समय-समय पर प्रक्रिया संबंधी विधियों को संशोधित करने के अतिरिक्त, सरकार ने विधि आयोग जैसे विशेषज्ञ निकायों की सलाह और सिफारिशों के आधार पर प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। विधि मंत्रियों, मुख्य न्यायमूर्तियों तथा न्याय प्रशासन से सबंद्ध अन्य व्यक्तियों के सम्मेलन, कालिक रूप सें आयोजित किए जाते हैं और ऐसे विचार विनिमय तथा परामर्शो से उदभूत सिफारिशों और निष्कर्षो को कार्यान्वित किया जाता है और उनकी प्रगति को निकट से मानीटर किया जाता है।